Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 33-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017 (PHALGUNA 3, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 फरवरी, 2017

संख्या विविध –1ए/जे0ई0 (बी0आर0) 2017/3203.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या विविध–1ए/जे0ई0 (वी0ए0) 2016/23861, दिनांक 28 अक्तूबर, 2016 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशाोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, अनुसूची-IV में, टिप्पण में क्रम संख्या 8 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

"9. ट्रांजिट ओरियंटिड विकास की दशा में, संपरिवर्तन प्रभार यथानुपात आधार पर अर्थात् 0.25 फर्श क्षेत्र अनुपात की प्रत्येक बढ़ाई गई स्लैब हेतु उद्गृहीत किए जाएंगे, अनुसूची–IV में सम्बन्धित उपयोग हेतु विहित दरों के अनुसार 25 प्रतिशत के फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए लागू प्रभारों के समकक्ष अतिरिक्त प्रभार लागू होंगे। तथापि, संपरिवर्तन प्रभारों का सम्पूर्ण भुगतान ट्रांजिट ओरियंटिड विकास पॉलिसी के अधीन नई अनुज्ञप्तियों हेतु भुगतान योग्य होगा।

10. संपरिवर्तन प्रभार मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं की दशा में उपयोगों के लिए आनुपातिक उद्गृहीत किए जाएंगे।

11. नई एकीकृत लाईसेंसिंग पॉलिसी हेतु, संपरिवर्तन प्रभार 1.0 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में आवासीय प्लाटिड कॉलोनी के लिए विहित दर का 1.5 गुणा तथा 1.25 फर्श क्षेत्र अनुपात की दशा में 2.0 गुणा उद्गृहीत किए जाएंगे।

12. दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन अनुज्ञात वहनयोग्य प्लाटिड आवासीय कॉलोनियों के लिए, संपरिवर्तन प्रभार में छूट होगी।"।

अरूण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 22nd February, 2017

No. MISC-1A/JE(BR)/2017/3203.— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department Notification No. MISC-1A/JE(VA)/2016/23861, dated the 28th October, 2016, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Rules, 2017.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in Schedule IV, under the heading 'Notes', after serial number 8 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

"9. In case of Transit Oriented Development, the conversion charges shall be levied on pro-rata basis i.e. for every increased slab of 0.25 FAR, the additional charges equivalent to the charges applicable for FAR of 25% as per the rates prescribed for respective use in Schedule – IV shall be applicable. However, full payment of conversion charges shall be payable for fresh licences under Transit Oriented Development Policy.

10. The conversion charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use projects.

11. For New Integrated Licencing Policy, the conversion charges shall be levied 1.5 times of the rate prescribed for residential plotted colony in case of 1.0 FAR and 2.0 times in case of 1.25 FAR.

12. For Affordable Plotted Residential Colonies permitted under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the conversion charges are exempted.".

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.

55041—C.S.—H.G.P., Chd.